

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

दिल्ली राजपत्र

Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-13012026-269315
SG-DL-E-13012026-269315असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 15]	नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 12, 2026/पौष 22, 1947	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 411
No. 15]	NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 12, 2026/PAUSHA 22, 1947	[N. C. T. D. No. 411

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIदिल्ली सरकार, गुरुद्वारा चुनाव निदेशालय
अधिसूचना

दिल्ली, 12 जनवरी, 2026

फा. सं. F.1/367/DGE/2020/2153.—दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (निर्वाचकों का पंजीकरण) नियम, 1973 के नियम 3 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली के उपराज्यपाल दिल्ली सरकार के निम्नलिखित 03 एडहॉक दानिक्स अधिकारियों को निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी के पद पर, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्यों के 46 गुरुद्वारा वार्डों, जो कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1971 की धारा 3 के तहत स्थापित किये गए हैं, के चुनाव के लिए नई फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार करने हेतु तत्काल प्रभाव से सहर्ष नियुक्त करते हैं:

Sr. No.	अधिकारी का नाम (श्री/श्रीमती)	पद का नाम	विभाग का नाम
1	गगन दीप	उप सचिव	डीडीसीडी
2	रश्मी मनचंदा	कार्यकारी अधिकारी + प्रशासनिक अधिकारी	तिब्बिया कॉलेज + दिल्ली राज्य स्वास्थ्य विश्वविद्यालय (अतिरिक्त)

3	रघुविंदर सिंह रुहिल	उप निदेशक	महिला एवं बाल विकास विभाग
---	---------------------	-----------	---------------------------

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप-राज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
मनविंदर सिंह, निदेशक (गुरुद्वारा चुनाव)

DIRECTORATE OF GURDWARA ELECTIONS

GOVERNMENT OF NCT OF DELHI

NOTIFICATION

Delhi, the 12th January, 2026

No. F.1/367/DGE/2020/2153.—In exercise of powers as conferred under Rule 3(1) of Delhi Sikh Gurdwara Management Committee (Registration of Electors) Rules, 1973, the Lt. Governor of Delhi is pleased to appoint the following 03 Adhoc DANICS as Electoral Registration Officer of Govt. of NCT of Delhi for preparation of Fresh Photo Electoral Rolls for election of Members in respect of 46 Gurdwara Wards of Delhi Sikh Gurdwara Management Committee established under Section 3 of Delhi Sikh Gurdwara Act, 1971 with immediate effect: By Orders of the Hon'ble Chief Justice,

Sr. No.	Name of ERO (Sh./Smt.)	Designation	Department
1.	Gagan Deep	Deputy Secretary	DDCD
2.	Rashmi Manchanda	Executive Officer + Admn. Officer	Tibbia College + Delhi State Health University (Addl.)
3.	Raghuvinder Singh Ruhil	Deputy Director	W&CD

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

MANVINDER SINGH, Director (GE)